

प्रथम नियुक्ति के समय अवलंब सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2018-19

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

उस विधि, उप	संमान, तात्कालीन तथा	संमान का नाम, जिसमें	संपत्ति लिखत हो	संपत्ति का नाम तथा धारिता	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम	उस किस प्रकार	अतिरिक्त किया गया	खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से	तथा अर्जन की	गारंटी और निमास	अर्जित की गई हो	उसका नाम तथा	धारिता से संबंधित	आप	अभिप्रेत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
अभिप्रेत	602 Bmschclg	1442	30,00,000/-	10,00,000/-	30,00,000/-	10,00,000/-	30,00,000/-	10,00,000/-	30,00,000/-	10,00,000/-	30,00,000/-	10,00,000/-	30,00,000/-	10,00,000/-	30,00,000/-	10,00,000/-

यदि मासिक से बड़ा मूल्य का कोई-कोई निर्धारण करना संभव न हो तो वहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में लगभग मूल्य बताया जाए।
 इसमें आचक्रालीन पट्टे की सामग्री है
 टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आचार्य) नियम 1959 के नियम 18 (3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाल पर धीमा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आर्जन एवं विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर उसकी द्वारा धारित सम्पत्ति अवलंब सम्पत्ति के बारे में दे।

संमान : 1442
 नाम : 602 Bmschclg
 पद : 1442